न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 460/2025

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. भूराराम पुत्र स्व0 अणदाराम 2. दुडाराम पुत्र स्व0 अणदाराम 3. ओमाराम पुत्र स्व0 अणदाराम 4. करणाराम पुत्र स्व0 अणदाराम 5. पतासी पत्नी स्व0 अणदाराम (जाति मेघवाल, निवासी ग्राम नांदिया कलां, तहसील बावडी, जिला जोधपुर)		1. निम्बाराम पुत्र स्व0 सोनाराम जाति मेघवाल, निवासी नांदिया कला तहसील बावडी, जिला जोधपुर 2. दुर्गाराम पुत्र स्व0 पुरखाराम 3. सन्नी पुत्र स्व0 पुरखाराम 4. नैनी पत्नी स्व0 पुरखाराम 5. बींजाराम पुत्र स्व0 नारूराम 6. नैनाराम पुत्र स्व0 नारूराम 7. गुलाब देवी पत्नी स्व0 नारूराम 8. दिलीप पुत्र स्व0 किशनाराम 9. गीता पत्नी स्व0 किशनाराम 10. माडू पुत्री स्व0 सोनाराम 11. धापू पुत्री स्व0 सोनाराम (रेस्पो0सं0 2 से 11 जरिये मुख्त्यार आम श्री मुकेश पुत्र निम्बाराम मेघवाल, निवासी ग्राम नांदियाकलां, तहसील बावडी, जिला जोधपुर) 12. रामनिवास पुत्र रूपाराम मेघवाल निवासी ग्राम नांदिया कलां, तहसील बावडी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.05.2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 30.05.2025 द्वारा अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर राजस्व अपील संख्या 83/2025 अनवान निम्बाराम बनाम भूराराम वगैरा

उपस्थित–

1. श्री मौहम्मद इकबाल, रोशनलाल वकील अपीलांट
2. श्री सत्यनारायण राजपुरोहित वकील रेस्पो0सं0 1 से 11 की ओर से
3. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 7.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 83/

7/1/26.
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

2025 अनवान निम्बाराम व अन्य बनाम भूराराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.05.2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 30.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–अपीलांट–निम्बाराम वगैरा ने अपील प्रस्तुत कर आग्रह किया कि तहसील बावडी स्थित ग्राम नान्दिया कलां के खसरा नं0 471 रकबा 115 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि खेमाराम पुत्र हिम्मताराम की खातेदारी में दर्ज थी। खेमाराम के 3 पुत्र सोनाराम, पोकरराम व अणदाराम तथा 1 पुत्री झमकू थी। खेमाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण सं0 374 दिनांक 31.3.1994 उनके एक पुत्र–अणदाराम के नाम ही स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त फरमाकर सभी वारिसान के नाम पारित करवाने का आग्रह किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 374 दिनांक 31.03.1994 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बावड़ी को मृतक खातेदार खेमाराम के वारिसान की जांच कर विधि अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स–रेस्पो0–भूराराम वगैरा ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 11–अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलांट–रेस्पो0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। किंतु बरवक्त अंतिम बहस अपीलांट्स–रेस्पो0 के अधिवक्ता ने ''नो इंस्ट्रक्शन प्लीड'' कर दिया गया। जिस पर रेस्पो0–अपीलांट की एक पक्षीय बहस के आधार पर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 374 दिनांक 31.03.1974 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बावड़ी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स–रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा 'नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड' करने पर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, किंतु उनके द्वारा ऐसा नही किया गया। इस कारण अपीलांट्स अपना पक्ष अथवा दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही रख सके। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील मेंएकपक्षीय निर्णय पारित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कर दिया गया, जो अपीलांट्स के विधिक अधिकारों को प्रभावित करता है। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि रेस्पो0—अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी, कि ग्राम नान्दिया कला के खसरा नम्बर 471 रकबा 115 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि खेमाराम पुत्र हिम्मताराम की खातेदारी में दर्ज थी। खेमाराम का देहान्त होने पर उनके वारिसान—तीन पुत्र सोनाराम, पोकरराम व अणदाराम तथा एक पुत्री झमकू थी, जिनका फौतेदगी नामान्तरकण संख्या 374 दिनांक 31.03.1994 केवल एक पुत्र अणदाराम के नाम से ही तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया। जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी पुत्रों व पुत्रियों के नाम स्वीकृत नही होने से विधिविरूद्ध पारित किया गया। जिसकी जानकारी निम्बाराम पुत्र सोनाराम को दिनांक 15.08.2018 को जमाबंदी की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी से संपर्क करने पर हुई। उक्त अपील मृतक खातेदार खेमाराम के पुत्र सोनाराम के वारिस द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब अपीलांट—रेस्पो0—भूराराम वगैरा द्वारा प्रस्तुत किया गया, बाद जवाब धारा 05 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अपील विचारण के दरमियान अपीलांट—रेस्पो0 अधिवक्ता को बहस के लिए कहा गया, जिनके द्वारा बहस से बचने के लिए दिनांक 05.03.2025 को 'नो—इन्ट्रक्शन प्लीड' कर दिया गया। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0—अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनकर गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में 2009(2)आरआटी 1102, 1103, आरआरडी 1998 पेज नं0 320—24 व 564—67, आरआडी 1989—Lamuram Vs State of Raj.-(23), आरआडी पेज ने0 195—97, आरआरटी 2017(2) पेज नं0 1104—07 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के अनुसार आलौच्य प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट—रेस्पो0सं0 1 से 6 के अधिवक्ता

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

द्वारा दिनांक 05.03.2025 की आदेशिका में ''नो–इन्ट्रक्शन प्लीड'' अंकित करने पर रेस्पो0सं0 1 से 11–अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 3 नियम 6(3) सी.पी. सी. के प्रावधानों के तहत पक्षकार को सूचित किया जाना आज्ञापक था, इसकी पालना विचारण न्यायालय द्वारा नही की गई है। हस्तगत अपील में अपीलांट का अभिकथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय, उसके विधिक अधिकारों को प्रभावित करता है, वस्तुतः उसे सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर ही नही मिला। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा आदेश न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 83/2025 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 30.05. 2025 को अपास्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, न्यायहित में गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मतः निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 7-1-2026. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

7/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर